Revenue - Change of Land Use

1	Name of Approval / NOC / License / Registration	Change of Land Use / Certificate of Land Use
2	Competent Authority	Board of Revenue
3	Applicability Criteria	o SDM Court
4	Stage	Pre-Establishment
5	SLA/ Number of Days	45 Days
6	Documents Required	 (i) Self Declaration of all Land Holders (ii) Map of land (including Quadriplegic), signed by all Land Holders (iii) Document of Updated Circle Rate, determined by Collector (iv) Certified copy of updated Khatauni (v) Certified copy of updated Khasra
7	Form Submission	http://niveshmitra.up.nic.in/
8	Fee	2% of Circle Rate
9	Mode of Payment	Online
10	Procedure for getting license	Step- 1: a) The applicant shall open the Online Single Window Portal using the address b) Register in Online portal using their personal Details and Contact Details. c) A password is generated and sent thru SMS/Email. Using the User id and Password to log into the online Web portal.

Step – 2:

After logging into the web portal, the Applicant shall fill the common application form and create Unit.

Step - 3:

Select apply for permission, choose unit, select Department "Board of Revenue" and service "Change of land use" then click on proceed.

Step -4:

The applicant will go ahead, attach required documents and submit the application form for service "Change of land use"

Step - 5:

The SDM office shall review the application and send to Tehsildar for inspection.

Step - 6:

Tehsildar submits inspection report to SDM.

Step-7:

SDM raises query within 7 days if required on the basis of Tehsildar's inspection report.

Step - 8:

Applicant corrects queries raised by SDM Office

Step − **9** :

On the basis of review report, SDM Office attaches the case number and send to online system for uploading

Step - 10:

Calculated Fee submitted by Applicant Online

Step - 11:

Hearing & remarks given by SDM

Step - 12:

Applicant Downloads the Certificate from online system



थाना :

पता 1:

कुमारगंज

ग्राम : पूरे दोत पाण्डेय का पुरवा

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश

बुधवार, फरवरी 3, 2021 4:48:17 PM vipin pandey

226021

ऑनलाइन आवेदन लॉग-आउट

आनलइन पंजीकरण : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु आवेदन |


नया आवेदव	→	नये प्रार्थना पत्र हेतु	कुल आवेदन 📦	आप द्वारा किये	गए सम्पूर्ण आवेदन पत्रों को	देखने के लिए
न्यायलय विवरणः						
अधिनियम :	उत्तर	प्रदेश राजस्व संहिता - 2006		* धारा :	80	V
मण्डल:	अयो	ध्या 🔻		* जनपदः	अयोध्या	
तहसील :	मिल	कीपुर 🔻		* न्यायलयः	उपजिलाधिकारी	
आवेदक भूमिधर व	ज्ञ विवरण :	* आवेदक का	प्रकार: ट्यक्ति/ individual			
		* आवेदक के निवास क्षेत्र का				
नाम:	विपिन पा				राज कुमार प	गण्डेय
मोबाइल नम्बर:	8934911	751	ई-मेल:		vipin2304@	@gmailcom
राज्य:	उत्तर प्रदेश		* जनपदः		अयोध्या	-

* पिनकोड:

पता 3:	तहसील : मिल्कीपुर .:	
(1.07)	क्या धारा 80(1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित भूमि का सम्मिलित खाता है ?	⊚ हाँ ⊘ नहीं
(1.08)	यदि सम्मिलित खाता है तो क्या सभी सह-खातेदारों की सहमित के व्यक्तिगत शपथ - पत्र प्राप्त हैं ?	® हाँ ⊘ नहीं
(1.09)	क्या सभी सह-खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नज़री नक्शा प्राप्त हैं ?	® हाँ ⊘ नहीं
(1.10)	आवेदक द्वारा प्रस्तावित गाटे पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग	आवासीय 🔻

ौर कृषिक उप	योग हेतु घोषणा	के लिये प्रस्तावित गाटे /	गाटों का विवरण:							
* खाते ह	में सिम्मिलित गाट	ों की संख्या जिनके सम्ब	बन्ध में घोषणा प्रस	तावित है :	1	•				
				भू खण्ड क्र	मांक 2 का वि	वेवरण				
* जनपदः	अयोध्या	च *तहसील:	मिल्कीपुर	T	*परगनाः	खण्डासा	•	* ग्राम:	सिधौना	•
		* गाटा संख्या:			* खतौनी वि0 :	खाता सं॰ :002	18 गाटा :65 वि ▼			


क्र° सं°	गाटा संख्या	गाटे का यूनीक कोड	कुल	क्या गाटे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की घोषणा होनी है अथवा उसके किसी भाग की। (पूर्ण / आंशिक)	जिसको गैर कृषिक	वर्तमान भू- उपयोग	प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट (रुपये प्रति हेo)	गैर कृषिक घोषणा हेतु शुल्क (1 प्रतिशत) जो जमा किया जाना अपेक्षित है (रूपये)	
1	65 मि.	166111-0000-650112	0.4050	सम्पूर्ण ▼	0.4050	आवासीय ▼	5000	21	हटायें



नाम	पिता /पति का नाम	मोबाइल नम्बर	पिन कोड	हटायें
राम धीरज	राम किशोर	738891644	226012	हटायें

घोषण	॥ की जाने वाली भूमि की विधिक स्थिति		
(4.01)	क्या उदघोषणा जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा के अन्तर्गत कोई वाद विचाराधीन है ?	© हाँ	⊚ नहीं
(4.02)	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित हुआ था ?	© हाँ	⊚ नहीं
(4.03)	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत कोई वाद वर्तमान में प्रचलित है ?	© हाँ	⊚ नहीं
(4.04)	क्या धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों की अवस्थिति किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत है	© हाँ	⊚ नहीं







घोषणा :

आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया.. कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202142345041058

अंतिम रूप दें

रिसेट करे

आनलइन पंजीकरण : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु आवेदन |

नया आवेदन → नये प्रार्थना पत्र हेतु <u>कुल आवेदन</u> → आप द्वारा किये गए सम्पूर्ण आवेदन पत्रों को देखने के लिए

दर्ज़ आवेदन पत्रों का विवरण :

क्रमांक	सन्दर्भ संख्या	न्यायलय	मण्डल	जनपद	तहसील	अधिनियम	धारा	प्रिंट
1	T202142345041058	उपजिलाधिकारी	अयोध्या	अयोध्या	मिल्कीपुर	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006	80	स्थिति जाने प्रिंट करें

आनलइन पंजीकरण : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु आवेदन |

नया आवेदन

नये प्रार्थना पत्र हेतु

कुल आवेदन

आप द्वारा किये गए सम्पूर्ण आवेदन पत्रों को देखने के लिए

दर्ज़ आवेदन पत्रों का विवरण :

क्रमांक	सन्दर्भ संख्या	न्यायलय	मण्डल	जनपद	तहसील	अधिनियम	धारा	प्रिंट
न्यायालय में आ	वेदन पत्रकी स्थति :							
कम्प्यूटरीकृत वा	द संख्या :	T202142345041058	पार्टी विवर	ण :	विपिन प	ाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश :	सरकार	
पंजीकरण तिथि :		03/02/2021	अगली सुन	ावाई तिथि :				
इश्तेहार प्रेषित :		नहीं	इश्तेहार प्रे	षित दिनांक :				
वेकलिस्ट प्रेषित		नहीं	चेकलिस्ट	प्रेषित दिनांक :				
चेकलिस्ट पूर्ण :		नहीं	चेकलिस्ट	पूर्ण दिनांक :				
			वापस	जायें				
			वापस	जार्य				

23





🔏 vaad.up.nic.in/land_conv/Print_Land_Conv_Form.aspx?no=T202142345041058&login_cd=ST42345041&file_dt=03/02/2021§ion_cd=7 ••• 💟



<u>प्रिंट</u>



उ॰ प्र॰ राजस्व संहिता ,2006 (यथा संशोधित 2016) की धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु आवेदन

[<u>आर सी प्रपन्न 25 , देखें नियम 85 (1)]</u>



कंप्यूटरीकृत आवेदन सं॰ : T202142345041058

समक्ष उप-जिलाधिकारी

तहसील - मिल्कीपुर

जिला - अयोध्या

भाग-1 (क)

आवेदक भूमिधर का विवरण

1.01	आवेदक भूमिधर का नाम:	विपिन पाण्डेय
1.02	पिता / पति / संरक्षक का नाम :	राज कुमार पाण्डेय
1.03	आवेदक का पता :	ग्राम : पूरे दोत पाण्डेय का पुरवा, पोस्ट -सिधुअन, तहसील:मिल्कीपुर
1.04	आवेदक का मोबाइल नम्बर :	8934911751

1.05 क्या धारा 80(1)के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित भूमि का सिन्मित्रित खाता है ?									
1.06 यदि सिन्मित्रित खाता है तो क्या सभी सह-खातेदारों की सहमित के व्यक्तिगत शपथ - पत्र प्राप्त हैं ?									
1.07	क्या सभी सह-खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नज़री नक्शा प्राप्त हैं ?								
1.08	आवेदक द्वारा प्रस्तावित गाटे पर किया जा र	हा गैर कृषिक उपयोग							
011VI 2	(क)								
	गैर - कृषिक	ज उपयोग हेतु घोषणा के लिए प्रस्तावित गाटे / गाटों का विवरण							
2.01		ь उपयोग हेतु घोषणा के लिए प्रस्तावित गाटे / गाटों का विवरण अयोध्या							
	गैर - कृषिक								
2.01	गैर - कृषिक जिलाः	अयोध्या							
2.01	गैर - कृषिक जिलाः तहसीलः	अयोध्या मिल्कीपुर							
2.01 2.02 2.03	गैर - कृषिक जिला: तहसील: परगना:	अयोध्या मिल्कीपुर खण्डासा							

l	2.04	राज	स्व ग्रामः			सिधौना					
l	2.05	फस	प्रीवर्षः			1424-1429	1424-1429				
l	2.06	खात	ा संख्या			00218	00218				
	2.07 खाते में सिन्मित्रित गाटों की संख्या जिनके सम्बन्ध में घोषणा प्रस्तावित है										
	क्रम संख्या	गाटा संख्य	•	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	क्या गाटे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की घोषणा होनी है अथवा उसके किसी भाग की। (पूर्ण / आंशिक)	घोषित किया जाना है (हे0)	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट (रुपये प्रति हे०)	गैर कृषिक घोषणा हेतु शुल्क (1 प्रतिशत) जो जमा किया जाना अपेक्षित है (6)*(8)*1/100 (रूपये)		
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	1	65 मि.	166111-0000-650112	0.4050	सम्पूर्ण	0.4050	आवासीय	5000	21		

योग

0.4050

21.00

भाग	-3	(क)	

सह-खातेदारों का विवरण

सह-खातदारा का विवरण			
3.0	सह खातेदारों की संख्या *	1	
3.11	1 - सहखातेदार का नाम :	राम धीरज	
3.12	3.12 पिता / पति / संरक्षक का नाम : राम किशोर		
3.13	पता	तहसील:मिल्कीपुर	
भाग -4 (ः		गी भूमि की विधिक स्थिति	
	T	"	
4.01	क्या उदघोषणा जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी भी रा	"	नहीं

4.01	क्या उदघोषणा जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा के अन्तर्गत कोई वाद विचाराधीन है ?	नहीं
	यदि हाँ तो वाद की कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	
4.02	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित हुआ था ?	नहीं
	न्यायालय का नाम :	
	बाद संख्या :	
	क्या सक्षम न्यायत्रय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाज्ञा वर्तमान में प्रभावी है ?	नहीं
	आदेश का दिनांक :	
4.03	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कोई वाद वर्तमान में प्रचलित है ?	नहीं
	न्यायालय का नाम :	
	वाद संख्या :	
	क्या सक्षम न्यायलय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाला वर्तमान में प्रभावी है ?	नहीं
	आदेश का दिनांक :	
4.04	क्या धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों की अवस्थिति किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत है ?	नहीं
	यदि हाँ तो घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों का उस घोषित महायोजना में प्रस्त्तावित प्रयोजन अथवा भू-उपयोग क्या है ?	
	क्या घोषणा किये जाने वाले गाटा / गाटों का प्रस्तावित उपयोग घोषित महायोजना के अनुरूप है ?	हाँ
	वर्तमान में उपयोग क्या है ?	

आवेदन पत्र के संलग्नक

5.01	क्या खातेदार / सभी सह-खातेदारों का व्यक्तिगत शपथ -पत्र संलग्न है ?		
5.02	क्या खातेदार / सभी सह-खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नज़री नक्शा (चौहदी सहित) संलग्न है ?		
सभी सह- खातेदारों का टयक्तिगत शपथ -पत्र	स्थान का	सभी सह- खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नज़री नक्शा (चौहद्दी सहित)	प्रभाविक का

घोषणा: में प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त प्रविष्टियां सही हैं, एवं मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है |

दिनांक : 03/02/2021

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम - विपिन पाण्डेय

आधार न० -

मोबाइल न॰ - 8934911751

दर्ज आवेदन पत्रों का विवरण : कम्प्यूटरीकृत वाद क्रमांक

संख्या

ऑनलाडन

T201842345041583

ऑनलाडन

विपिन पाण्डेय T202142345041058

बनाम 03/02/2021 उत्तर प्रदेश सरकार

वादी

राम लौट **बनाम**

उत्तर प्रदेश

सरकार

पंजीकरण

तिथि

17/05/2018

शुल्क भुगतान स्थिति 0.00 भूगतान तिथि Not Paid 0.00 भुगतान तिथि Not Paid

इश्तेहार

प्रेषित

नहीं

नहीं

सुनवाई तिथि

निस्तारण तिथि

Pending

29/06/2018

निस्तारण तिथि

29/06/2018

चेकलिस्ट प्रेषित नहीं चेकलिस्ट वापिस नहीं नहीं चेकलिस्ट वापिस नहीं

जांच आख्या जांच आख्या

नोटिस नोटिस अनुयोजन शुल्क निरस्त करें शुल्क

निरस्त करें आदेश करें

आदेश करें

प्रिंट <u> आवेदन</u>

<u>पत्र</u> <u> आवेदन</u> <u>पत्र</u>

न्यायालय : उपजिलाधिकारी मण्डल :अयोध्या, जनपद :अयोध्या, तहसील :मिल्कीपुर

तहसीलदार

कैंसिल करें

वाद संख्या :-1058/2021

प्रिंट

- पिता/पित/संरक्षक: राज कुमार पाण्डेय आवेदक का नाम : विपिन पाण्डेय
- * जनपद: अयोध्या मोबाइल नम्बर: 8934911751
- अधिनियम: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 * धारा : 80

सुरक्षित करें

- नियत कार्यवाही : * स्नवाई तिथि: 02/02/2021
- तहसीलदार को अबसित करें :

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :अयोध्या, जनपद :अयोध्या, तहसील :मिल्कीपुर

वाद संख्या :-1058/2021

आवद्धा का गाम . ।वापन पाण्डप	विता/वात/सर्वाकः राज युक्तार पाण्डप	
* मोबाइल नम्बर: 8934911751	* जनपद: अयोध्या	
* अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006	* धारा : 80	
* सुनवाई तिथि: 02/02/2021	* नियत कार्यवाही : ग्राह्मता	
* तहसीलदार को अबसित क	रें : तहसीलदार ▼	
सुरक्षित करें	कैंसिल करें	

श्री मान/मती विपिन पाण्डेय आपके द्वारा आवेदित भू-खण्ड को गैर - कृषिक किये जाने के हेतु सन्दर्भ संख्या T202142345041058 न्यायालय -तहसीलदार को अबसित कर दी गयी हैं।

दर्ज आवेदन पत्रों का विवरण : पंजीकरण इश्तेहार | शुल्क भुगतान | स्नवाई तिथि प्रिंट वादी चेकलिस्ट प्रेषित अनुयोजन क्रमांक तिथि प्रेषित स्थिति संख्या विपिन पाण्डेय आवेदन 02/02/2021 0.00 T202142345041058 बनाम <u>पत्र</u> नोटिस 03/02/2021 निस्तारण तिथि भुगतान तिथि जांच आख्या निरस्त करें 📗 आदेश करें नहीं शुल्क ऑनलाइन उत्तर प्रदेश Pending Not Paid सरकार

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :अयोध्या, जनपद :अयोध्या, तहसील :मिल्कीपुर वाद संख्या :-1058/2021

<u>नोटिस</u> कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या : T202142345041058

विपिन पाण्डेय खातेदार / आवेदक का नाम :

राज कुमार पाण्डेय पिता / पति / संरक्षक का नाम : ग्राम : पूरे दोत पाण्डेय का पुरवा, पोस्ट -सिधुअन, तहसील:मिल्कीपुर पता :

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन - पत्र, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202142345041058 के क्रम में आपके द्वारा जिला **अयोध्या** तहसील **मिल्कीपुर** राजस्व ग्राम **सिधौना** के निम्न गाटे / गार्टों के गैर - कृषिक गर्गान्त्र / सार्गाम के सम्बद्ध में तटमीन स्वर मे ज

	क्रम संख्या	गाटा संख्या	गाटे का यूनीक को

65 用.

जाच करायी गयी।	
गाटे का यूनीक कोड	

3

166111-0000-650112

Ī		

ш

4

0.4050

क्या गाटे के
सम्पूर्ण क्षेत्रफल की
घोषणा होनी है
अथवा उसके किसी

भाग की। (पूर्ण / आंशिक)

सम्पूर्ण

प्रकी	
\$	
केसी	

गाटे का क्षेत्रफल
जिसको गैर कृषिक
षित किया जाना है (हे

6

0.4050

	वर्तमान
,	भू-उपयोग
हे0)	

7

आवासीय

1

1

तहसील स्तरीय जांच के आधार पर आपको लिर्देशित किया जाता है कि - (क) उपरोक्त गाटे / गाटों का उपयोग आपके द्वारा आवासीय / वाणिज्यिक / औधिंगिक प्रयोजन हेतु हेतु किया जा रहा है। अतः उपरोक्त गाटे / गाटों का धारा 80 (1) अन्तर्गत गैर - कृषिक किये जाति ए निर्धारित शुल्क इपये इस नोटिस के प्राप्त होने के सात कार्यदिवस के अन्दर कोषागार में लेखाशीर्षक 0029-101-06-0602 में जमा कराकर पृष्टि स्वरूप चालान की प्रति प्र करें, तािक तदनुसार आपके आवेदन -पत्र का निस्तारण किया जा सके। अधवा (ख) तहसील स्तरीय जांच (जांच आख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन पत्र में निम्न त्रुटियां / किमयां पायी गयी हैं - त्रुटियां / किमयां : जोड़े किस्त करे कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविधे के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र वा निस्तारण कर दिया जायेगा।	1	2	3	4	5	6	7
(क) उपरोक्त गार्ट / गार्टों का उपयोग आपके द्वारा आवासीय / वाणिज्यिक / औदागिक प्रयोजन हेतु हेतु किया जा रहा है। अतः उपरोक्त गार्ट / गार्टों का धारा 80 (1) अन्तर्गत गैर - कृषिक किये जात लिए निर्धारित शुल्क रुपये इस नोटिस के प्राप्त होने के सात कार्यदिवस के अन्दर कोषागार में लेखाशीर्षक 0029-101-06-0602 में जमा कराकर पृष्टि स्वरूप चालान की प्रति प्र करें, तािक तदनुसार आपके आवेदन पत्र का निस्तारण किया जा सके । ***शंवा (ख) तहसील स्तरीय जांच (जांच आख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन पत्र में निम्न बुटियां / किमयां पायी गयी हैं - ***शृदियां / किमियां : जोड़े कैसिल करें कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त बुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविधि के अन्दर आपके द्वारा बुटियों / किमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।	1	65 用.	166111-0000-650112	0.4050	सम्पूर्ण	0.4050	आवासीय
लिए निर्धारित शुल्क रुपये इस नीटिस के प्राप्त होने के सात कार्यदिवस के अन्दर कोषागार में लेखाशीर्षक 0029-101-06-0602 में जमा कराकर पुष्टि स्वरुप चालान की प्रति प्र करें, तािक तदनुसार आपके आवेदन -पत्र का निस्तारण किया जा सके । अधवा (ख) तहसील स्तरीय जांच (जांच आख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन पत्र में निम्न श्रुटियां / किमयां पायी गयी हैं - श्रुटियां / किमयां : जोड़े किसत करें कृपया नीटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त श्रुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविध के अन्दर आपके द्वारा श्रुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।	तहसील स्त	रीय जांच के आधार प	र आपको निर्देशित किया जाता है कि -				
करें, ताकि तदनुसार आपके आवेदन -पत्र का निस्तारण किया जा सके । अधवा (ख) तहसील स्तरीय जांच (जांच आख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन पत्र में निम्न बुटियां / किमयां पायी गयी हैं - बुटियां / किमयां : जोड़े कैंसिल करे कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्द्रर उपरोक्त बुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , ताकि आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविधि के अन्दर आपके द्वारा बुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।	(क) उपरोक्त गा	टे / गार्टों का उपयोग	आपके द्वारा आवासीय / वाणिज्यिक / औ	द्यगिक प्रयोजन हेतु हेतु किय	ा जा रहा है। अतः उपरोक्त गाटे /	' गाटों का धारा 80 (1) अन्तर्गत गैर -	कृषिक किये जाने के
अधवा (ख) तहसील स्तरीय जांच (जांच आख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन पत्र में निम्न त्रुटियां / किमयां पायी गयी हैं - त्रुटियां / किमयां : जोड़े कैसिल करे कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविध के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।	लिए निर्धारित शु	ल्फ	रुपये इस नोटिस के प्राप्त होने के सात	कार्यदिवस के अन्दर कोषाग	ार में लेखाशीर्षक 0029-101-06	i-0602 में जमा कराकर पुष्टि स्वरुप च	ालान की प्रति प्रस्तुत
(ख) तहसील स्तरीय जांच (जांच आख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन पत्र में निम्न त्रुटियां / किमयां पायी गयी हैं - त्रुटियां / किमियां : जोड़े कैंसिल करें कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों / किमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविधि के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / किमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।	करें, ताकि तदनुर	नार आपके आवेदन -	पत्र का निस्तारण किया जा सके ।				
(ख) तहसील स्तरीय जांच (जांच आख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन पत्र में निम्न त्रुटियां / किमयां पायी गयी हैं - त्रुटियां / किमियां : जोड़े कैंसिल करें कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों / किमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविधि के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / किमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।							
त्रुटियां / किमियां : जोडें कैंसिल करें कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों / किमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविधि के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / किमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।				अथवा			
कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त बुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविध के अन्दर आपके द्वारा बुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।	(ख) तहसील स्त	तरीय जांच (जांच अ	ाख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन	पत्र में निम्न त्रुटियां / कमिय	i पायी गयी हैं -		
कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त बुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तािक आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविध के अन्दर आपके द्वारा बुटियों / किमयों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित किमयों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।							
कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों / कमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित कमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , ताकि आपके आवेद का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविध के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / कमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित कमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।			त्रुटिया / कमिया :				
का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविध के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / कमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित कमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।				जोड़ें वै	र्गिसल करें		
का निस्तारण किया जा सके। यदि निर्धारित अविध के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / कमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित कमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।							
पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।			वस के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों / कमियों का	निराकरण कर पुनरीक्षित आ	वेदन पत्र / इंगित कमियों के सन	म्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , तार्ग	के आपके आवेदन पत्र
अग्रसित करें कैंसिल करें				पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंवि	गेत कमियों के सम्बन्ध में अपन	॥ उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उप	लिब्ध साक्ष्यों के आधार
				अग्रसित करें कैं।	सेल करें		

***** शुल्क भुगतान की स्थति ***** **उपजिलाधिकारी** मण्डल :अयोध्या, जनपद :अयोध्या, तहसील :मिल्कीपुर (1) कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या : T202142345041058 विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी विवरण : (2) अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 80 धारा : (3) बैंक रिफरेन्स संख्या: चात्रान सँख्या : (4) बैंक: धनराशि (Paid) : (5) भूगतान स्थिति (Paid Status) : भ्गतान तिथि : कैंसिल करें

वाद विवरण :			
न्यायालय :	उपजिलाधिकारी	पार्टी विवरण:	विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
मण्डल/जनपद:	अयोध्या / अयोध्या	वाद की स्थिति:	ग्राह्मता
दाखिला तिथि:	03/02/2021	सुनवाई तिथि:	02/02/2021

विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार





राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली

बुधवार, फरवरी 3, 2021 7:06:29 PM

न्यायालयं तहसीलदारं , तहसीलः मिल्कीपुरं जनपदः अयोध्याः मण्डलः अयोध्याः उपयोगकर्ताः पेशकार

मुख पृष्ठ वाद पंजीकरण इश्तेहार दैनिक वाद तालिका न्यायालय आदेश वाद प्रक्रिया अभिलेखागार प्रबंधन आधार तालिकाएँ प्रोफ़ाइल पासवर्ड बदर्ले लॉग-आउट

धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु जांच आख्या :

क्रमा	क कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	अधिनियम	धारा	वादी	प्रतिवादी	चेकलिस्ट(उपजिलाधिकारी द्वारा)	अनुयोजन	प्रिंट
1	T202142345041058	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006	80	विपिन पाण्डेय	उत्तर प्रदेश सरकार	हाँ , तिथि: 03/02/2021	जांच आख्या	<u>आवेदन पत्र</u>

क्रमांक	कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अधिनियम धारा वादी	प्रतिवार्द	चेकलिस्ट(उपजिलाधिकारी ते अनुयोजन प्रिंट द्वारा)			
	****** धारा 80 (1) के 3	भन्तर्गत	। घोषणा हेतु जांच आख्या ******			
	্ৰ	ंच आख्य	n प्रिंट करें			
		भाग - 1	1 (ख)			
1.01	आवेदक भूमिधर का विवरण	विपिन प	पाण्डेय			
1.02	पिता / पति / संरक्षक का नाम :	राज कु	मार पाण्डेय			
1.03	आवेदक का पता :	ग्राम : पूरे दोत पाण्डेय का पुरवा, पोस्ट -सिधुअन, तहसील:मिल्कीपुर				
1.04	आवेदक का आधार नम्बर :					
1.05	आवेदक का मोबाइल नम्बर :	893491	1751			
1.06	आवेदक का ई-मेल :	vipin23	04@gmailcom			
			अभ्युक्ति			
1.07	क्या धारा 80(1)के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित भूमि का सिम्मिलित खाता है ?	हाँ				
1.08	यदि सिम्मिलित खाता है तो क्या सभी सह-खातेदारों की सहमित के व्यक्तिगत शपथ - पत्र उपलब्ध हैं ?	हाँ				
1.09	क्या सभी सह-खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नज़री नक्शा पर हस्ताक्षर / निशानी अंग्ठा लगाया गया है ?	हाँ	[
1.10	आवेदक द्वारा प्रस्तावित गाटे पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग आवेदन के अनुरूप है					

2.01 जिला:						अयोध्या					
2.02											
	तहसील:				मिल्कीपु	`					
2.03	परगनाः				खण्डासा						
2.04	राजस्व बामः				सिधौना						
2.05	फसली वर्ष:				1424-14	29					
2.06	खाता संख्या:				00218						
2.07	खाते में सम्मि	नेत गाटों की संख्या जिनके	सम्बन्ध में घोषण	ग प्रस्तावित है	1						
கச ச்	ह्या गाटा संख्या	गाटे का यूनीक कोड	गाटे का कुल	क्या गाटे के		गाटे का क्षेत्रफल	वर्तमान	प्रस्तावित भूमि का	गैर कृषिक घोषणा		
			_	सम्पूर्ण क्षेत्रफल घोषणा होनी अथवा उसके वि भाग की। (पूर्ण / आंशिव	की है घोषि ज्सी	जिसको गैर कृषिक त किया जाना है (हे०)	भू-उपयोग	,	हेतु शुल्क (1 प्रतिशत		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
1	65 मि.	166111-0000-65011	0.4050	सम्पूर्ण		0.4050	आवासीय	5000	21.00		
		योग				0.4050			21.00		
						आवेदक दवारा ही	गयी सचन	ा से सहमत / असहमत			
भा	ग -3 (ख)			सह-खातेदार	ों का विव	रण					
3.00	सह-खातेदारों व	ी सं ख्या			1						
3.11	1 - सहखातेदा	र का नाम : राम ६	ीरज								
		' संरक्षक का नाम : राम वि	केशोर								
	आधार नम्बर :										
	पता		ल:मिल्कीपुर								

भ	ाग -4(ख) उद्घोषणा र्व	ो जाने व	ाली भूमि की विधिक स्थिति
4.01	क्या उद्घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व न्यायलय में किसी धारा के अन्तर्गत कोई वाद विचाराधीन है ?	नहीं	
	विचाराधीन वाद की कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :	-	
4.02	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित हुआ था ?	नहीं	
	न्यायलय का नाम :		
	बाद संख्या :		
	क्या सक्षम न्यायलय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाला वर्तमान में प्रभावी है ?	नहीं	
	आदेश का दिनांक :	-	
4.03	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत कोई वाद वर्तमान में प्रचलित है ?	नहीं	
	न्यायलय का नाम :		
	बाद संख्या :	-	
	क्या सक्षम न्यायलय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाला वर्तमान में प्रभावी है ?	नहीं	
	आदेश का दिनांक :		
4.04	क्या धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों की अवस्थिति किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत है ?	नहीं	
	घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों का उस घोषित महायोजना में प्रस्तावित प्रयोजन अथवा भू-उपयोग क्या है ?	-	:i
	क्या घोषणा किये जाने वाले गाटा / गाटों का वर्तमान उपयोग घोषित महायोजना के अनुरूप है ?		

आवेदक , आवेदित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है / नहीं है ।	◉ हाँ ○ नहीं	
आवेदन पत्र में इंगित भूमि सार्वजनिक / सुरक्षित श्रेणी की भूमि है / नहीं है।	® हाँ ० नहीं	
उक्त भूखण्डों / गाटों के सम्बन्ध में किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद वर्तमान में विचाराधीन है / नहीं है ।	◉ हाँ ○ नहीं	
आवेदित भूमि को गैर - कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है / नहीं की जाती है।	⊚ हाँ ⊘ नहीं	
यदि संस्तुति नहीं की जाती तो विवरण / कारण अंकित किया जाए।		
	आवेदन पत्र में इंगित भूमि सार्वजनिक / सुरक्षित श्रेणी की भूमि है / नहीं है। उक्त भूखण्डों / गाटों के सम्बन्ध में किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद वर्तमान में विचाराधीन है / नहीं है। आवेदित भूमि को गैर - कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है / नहीं की जाती है।	आवेदन पत्र में इंगित भूमि सार्वजनिक / सुरक्षित श्रेणी की भूमि है / नहीं है। उक्त भूखण्डों / गाटों के सम्बन्ध में किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद वर्तमान में विचाराधीन है / नहीं है। आवेदित भूमि को गैर - कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है / नहीं की ⊚ हाँ ○ नहीं जाती है।

	णित किया जाता है कि : -		
(I)	आवेदक , आवेदित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है / नहीं है ।	® हाँ ⊘ नहीं	d d
(II)	आवेदन पत्र में इंगित भूमि सार्वजनिक / सुरक्षित श्रेणी की भूमि है / नहीं है।	⊚ हाँ ⊘ नहीं	
(III)	उक्त भूखण्डों / गाटों के सम्बन्ध में किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद वर्तमान में विचाराधीन है / नहीं है ।	◉ हाँ ○ नहीं	
(IV)	आवेदित भूमि को गैर - कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है / नहीं की जाती है।	◉ हाँ ○ नहीं	
(V)	यदि संस्तुति नहीं की जाती तो विवरण / कारण अंकित किया जाए।		
	तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र की जाँच आख्या पूर्ण क	र उपजिलाधिकारी न्याय	।।लय को प्रेषित की गयी।
	🗹 जांच आख्या पूर्णतयः तैयार कर ली गयी है, तथा	इसमें उद्धृत सभी बिन्दु3	भों की जांच कर ली गयी है।
	दर्ज़ करें	रिसेट करें	

f	दर्ज़ आ	ावेदन पत्रों का विवरण	r:							
	क्रमांक	कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	वादी	पंजीकरण तिथि	सुनवाई तिथि	इश्तेहार प्रेषित	शुल्क भुगतान स्थिति	चेकलिस्ट प्रेषित	अनुयोजन	प्रिंट
	1	T202142345041058 ऑनलाइन	विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार	03/02/2021	02/02/2021 निस्तारण तिथि Pending	नर्ही	0.00 भुगतान तिथि Not Paid	हाँ 03/02/2021 चेकलिस्ट वापिस हाँ 03/02/2021	जांच आख्या नोटिस शुल्क निरस्त करें आदेश करें	<u>आवेदन</u> <u>पत्र</u>

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

आवेदक भूमिधर का विवरण

आवेदक का आधार नम्बर :

आवेदक का मोबाइल नम्बर :

आवेदक का पता :

आवेदक का ई-मेल :

पिता / पति / संरक्षक का नाम :

राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली

कंप्यूटरीकृत आवेदन सं**॰ :** T202142345041058

*****	धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु जांच आख्या ******
	भाग -1 (ख)

विपिन पाण्डेय

8934911751

क्या धारा 80(1)के अन्तर्गत घोषणा हेत् प्रस्तावित भूमि का सम्मिलित खाता है ?

आवेदक द्वारा प्रस्तावित गाटे पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग आवेदन के अनुरूप है

यदि सम्मिलित खाता है तो क्या सभी सह-खातेदारों की सहमति के व्यक्तिगत शपथ - पत्र उपलब्ध हैं ?

क्या सभी सह-खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नज़री नक्शा पर हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा लगाया गया है ?

vipin2304@gmailcom

राज कुमार पाण्डेय

ग्राम : पूरे दोत पाण्डेय का पुरवा, पोस्ट -सिधुअन, तहसील:मिल्कीपूर

अभ्युक्ति	

न्यायालय : तहसीलदार

मण्डल :अयोध्या,जनपद :अयोध्या,तहसील :मिल्कीप्र

वाद संख्या :-1058/2021


भाग -2 (ख)								
	गैर - कृषिक उपयोग हेतु घोषणा के लिए प्रस्तावित गाटे / गाटों का विवरण							
2.01	01 ਗਿੰਕਾ:			अयोध्या				
2.02	तहसील:			,	मिल्कीपुर			
2.03	परगना:				खण्डासा			
2.04	.04 राजस्य ग्राम:				सिधौना			
2.05	फसली वर्ष:				1424-1429			
2.06	खाता संख्या:				00218			
2.07	खाते में समिम	लित गार्टो की संख्या जिनवे	र सम्बन्ध में घो	षणा प्रस्तावित	1			
	 							
	T .				T	1 -	T	
क्रम संख्य	गा गाटा संख्या	गाटे का यूनीक कोड	गाटे का कुल	क्या गाटे के	गाटे का क्षेत्रफल	वर्तमान	प्रस्तावित भूमि का	गैर कृषिक घोषणा
			क्षेत्रफल (हे0)	सम्पूर्ण क्षेत्रफल व	_	भू-उपयोग	_	हेतु शुल्क (1 प्रतिशत)
				घोषणा होनी है			सर्किल रेट (रुपये प्रति हे०)	I III
				अथवा उसके किर	सी			जाना अपेक्षित है
				भाग की।				(6)*(8)*1/100 (रूपये)
1	2	3	4	(पूर्ण / आंशिक 5	6	7	8	9
1		166111-0000-650112	0.4050	_	0.4050		5000	21.00
	65 ਸਿੱ.	_	0.4030	सम्पूर्ण		आवासीय	3000	
योग					0.4050			21.00

-							
भाग -3 (ख)							
	सह-खातेदारों का विवरण						
				आवेदक द्वारा दी गयी सूचना से सहमत / असहमत			
3.00	सह-खातेदारों की संख्या	1	l				
3.11	1 - सहखातेदार का नाम :	राम धीरज					
3.12	पिता / पति / संरक्षक का नाम :	राम किशोर					
3.13	आधार नम्बर :						
3.14	पता	तहसील:मिल्कीपुर					


भाग -4(ख)							
	उद्घोषणा की जाने वाली भूमि की विधिक स्थिति						
4.01	क्या उद्घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व न्यायलय में किसी धारा के अन्तर्गत कोई वाद विचाराधीन है ?	नहीं					
	कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :						
4.02	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित हुआ था ?	नहीं					
	न्यायलय का नाम :						
	वाद संख्या :						
	क्या सक्षम न्यायलय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाजा वर्तमान में प्रभावी है ?	नहीं					
	आदेश का दिनांक :						
4.03	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत कोई वाद वर्तमान में प्रचलित है ?	नहीं					
	न्यायलय का नाम :						
	वाद संख्या :						
	क्या सक्षम न्यायलय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाजा वर्तमान में प्रभावी है ?	नहीं					
	आदेश का दिनांक :						
ll .	क्या धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों की अवस्थिति किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत है ?	नहीं					
	घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों का उस घोषित महायोजना में प्रस्तावित प्रयोजन अथवा भू-उपयोग क्या है ?						
	क्या घोषणा किये जाने वाले गाटा / गार्टो का वर्तमान उपयोग घोषित महायोजना के अनुरूप है ?						


आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं की संगत राजस्व अभिलेखों से पुष्टि की गयी तथा आवेदित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया व स्थनीय जांच की गयी। जांच के आधार						
पर प्रमाणित किया जाता है कि : -						
(I)	आवेदक , आवेदित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है / नहीं है ।	हाँ				
(II)	आवेदन पत्र में इंगित भूमि सार्वजनिक / सुरक्षित श्रेणी की भूमि है / नहीं है।	हाँ				
l 1	उक्त भूखण्डों / गाटों के सम्बन्ध में किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद वर्तमान में विचाराधीन है / नहीं है ।	हाँ				
(IV)	आवेदित भूमि को गैर - कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है / नहीं की जाती है।	हाँ				
(V)	(४) यदि संस्तुति नहीं की जाती तो विवरण / कारण अंकित किया जाए।					
विवरण						
	-	-				


निरीक्षणकर्ता अधिकारी (राजस्व निरीक्षक /नायब तहसीलदार) का नाम							
पदनाम	तहसील						
निरीक्षण क	निरीक्षण का दिनांक						
निरीक्षण के	क समय उपस्थित अन्य अधिकारियों / पक्षकारों / साक्षीगण का विवरण						
क्र॰ स॰	नाम व पदनाम	पता	हस्ताक्षर				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
टिनांक •-	दिनांक : निरीक्षणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर :						





Welcome to rajkosh.up.nic.in. Your challan (RAJ210000308) information has been saved. Click 'Next' to proceed.














तहसील स्तरीय	जांच के आधार पर आप	ाको निर्देशित किया जाता है कि -		
(क) उपरोक्त गाटे / ग	गार्टो का उपयोग आप	के द्वारा आवासीय / वाणिज्यिक	/ औद्यगिक प्रयोजन हेतु हे	तु किया जा रहा है। अतः उपरोक्त गाटे / गाटों का धारा 80 (1) अन्तर्गत गैर - कृषिक किये जाने के
लिए निर्धारित शुल्क	10 ₹	पर्य इस नोटिस के प्राप्त होने के	सात कार्यदिवस के अन्दर	कोषागार में लेखाशीर्षक 0029-101-06-0602 में जमा कराकर पुष्टि स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत
करें, ताकि तदनुसार 3	भापके आवेदन -पत्र व	ज निस्तारण किया जा सके ।		
			अध	
(ख) तहसील स्तरीय	ा जांच (जांच आख्या	की प्रति संलग्न) में आपके आदे	प्रेदन पत्र में निम्न त्रुटियां /	कमियां पायी गयी हैं -
	3	टियां / कमियां :		
			जोड़ें	कैंसिल करें
कृपया नोटिस प्राप्ति के का निस्तारण किया ज		5 अन्दर उपरोक्त त्रुटियों / कमियं	ों का निराकरण कर पुनरीधि	क्षेत आवेदन पत्र / इंगित कमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , ताकि आपके आवेदन पत्र
यदि निर्धारित अवधि पर आपके आवेदन पः		9	ा कर पुनरीक्षित आवेदन पः	व इंगित कमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार
			अग्रसित करें	कैंसिल करें
		आवेदनकर्ता	को उपजिलाधिकारी द्वारा न	गेटिस सफलतापूर्वक प्रेषित की गयी।

← VM-BORLKO

Q:

19:16

श्री मान / मती विपिन पाण्डेय, न्यायालय : उपजिलाधिकारी , मण्डल :अयोध्या, जनपद :अयोध्या, तहसील :मिल्कीपुर, वाद संख्या :-1058/2021कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :T202142345041058,में आपको 10.00 रुपये फीस / शुल्क कृषिक भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन में बदलने हेतु जमा करने के लिए आनलइन नोटिस प्रेषित किया गया.!-राजस्व परिषद, उ० प्र०

Now

Sender does not support replies

आनलइन पंजीकरण : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु आवेदन |

नया आवेदन → नये प्रार्थना पत्र हेतु <u>कुल आवेदन</u> → आप द्वारा किये गए सम्पूर्ण आवेदन पत्रों को देखने के लिए

दर्ज आवेदन पत्रों का विवरण :

क्रमांक	सन्दर्भ संख्या	न्यायलय	मण्डल	जनपद	तहसील	अधिनियम	धारा	प्रिंट
न्यायालय में 3	भावेदन पत्र की स्थति :							
कम्प्यूटरीकृत व	वाद संख्या :	T202142345041058	पार्टी वि	वरण :	विपिन	पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश	ा सरकार	
पंजीकरण तिथि	I:	03/02/2021	अगली :	सुनवाई तिथि :	02/02/	2021		
इश्तेहार प्रेषित :		हाँ	इश्तेहार	प्रेषित दिनांक :	03/02/	2021		
			नोटिस पि	प्रेंट करें				
चेकलिस्ट प्रेषित	T:	हाँ	चेकलिर	न्ट प्रेषित दिनांक :	03/02/	2021		
चेकलिस्ट पूर्ण :		हाँ	चेकलिर	न्ट पूर्ण दिनांक :	03/02/	2021		
बैंक रिफरेन्स संर	ड्या :	IK0AYQNJL5	चालान र	सँ ख्या :	RAJ210	0000310		
बैंक :		SBI	धनराशि	(Paid) :	10.00			
भुगतान स्थिति	(Paid Status) :	सफल(Success)	भुगतान	तिथि :	04/02/	2021		
			वापस र	ਜ਼ਹੋ				
			414(1)					





न्यायालय : उपजिलाधिकारी मण्डल :अयोध्या, जनपद :अयोध्या, तहसील :मिल्कीपुर वाद संख्या :-1058/2021 नोटिस

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या : T202142345041058

खातेदार / आवेदक का नाम : विपिन पाण्डेय

पिता / पति / संरक्षक का नाम : राज कुमार पाण्डेय

पता : ग्राम : पूरे दोत पाण्डेय का पुरवा, पोस्ट -सिधुअन, तहसील:मिल्कीपुर

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन - पत्र, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202142345041058 के क्रम में आपके द्वारा जिला **अयोध्या,** तहसील **मिल्कीपुर**, राजस्व ग्राम के निम्न गाटे / गाटों के गैर - कृषिक प्रयोजन / उपयोग के सम्बन्ध में तहसील स्तर से जांच करायी गयी।

क्रम संख्या	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा संख्या	गाटे का यूनीक कोड	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0)	क्या गाटे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की घोषणा होनी है अथवा उसके किसी भाग की। (पूर्ण / आंशिक)	गाटे का क्षेत्रफल जिसको गैर कृषिक घोषित किया जाना है (हे0)	वर्तमान भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खण्डासा	सिधौना	65 मि.	166111-0000-650112	0.4050	सम्पूर्ण	0.4050	आवासीय

(क) उपरोक्त गाटे / गाटों का उपयोग आपके द्वारा आवासीय / वाणिज्यिक / औद्यगिक प्रयोजन हेतु हेतु किया जा रहा है। अतः उपरोक्त गाटे / गाटों का धारा 80 (1) अन्तर्गत गैर - कृषिक किये जाने के लिए निर्धारित शुल्क 10.00 रूपये इस नोटिस के प्राप्त होने के सात कार्यदिवस के अन्दर ऑनलाइन भुगतान कर दें , ताकि तदनुसार आपके आवेदन -पत्र का निस्तारण किया जा सके ।

अथवा

(ख) तहसील स्तरीय जांच (जांच आख्या की प्रति संलग्न) में आपके आवेदन पत्र में निम्न त्रुटियां / कमियां पायी गयी हैं -

कृपया नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर उपरोक्त ब्रुटियों / कमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र / इंगित कमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें , ताकि आपके आवेदन पत्र का निस्तारण किया जा सके।

यदि निर्धारित अविध के अन्दर आपके द्वारा त्रुटियों / कमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित आवेदन पत्र व इंगित कमियों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आपके आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।

दिनांक: 03/02/2021

हस्ताक्षर उपजिलाधिकारी तहसील मिल्कीपुर जिला अयोध्या

क्रमांक	कम्प्यूटरीकृत वाद वादी संख्या	पंजीकरण सुनवाई तिर्वि	धे इश्तेहार प्रेषित	शुल्क भुगतान स्थिति	वेकलिस्ट प्रेषित	अनुयोजन	प्रिंत
	****	*** शुल्क भुगतान की	स्थति ***	***			
		उपजिलाधिकार्	î f				
	मण्डल :अ	ायोध्या , जनपद :अयोध्या	, तहसील :वि	नेल्कीपुर			
⁽¹⁾ कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :	T202142345041058		पार्टी विवर	ण :		विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार	
 अधिनियम: 	उत्तर प्रदेश राजस्व संहित	स - 2006	धारा :			80	
 बैंक रिफरेन्स संख्या: 	IK0AYQNJL5		चालान सँर	ड्या :		RAJ210000310	
(4) बैंक:	SBI		धनराशि (Paid) :		10.00	
(5) भुगतान स्थिति (Paid Status) :	Pending		भुगतान ति	थि :		04/02/2021	

क्रमांक	कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	वादी	पंजीकरण तिथि	सुनवाई तिथि	इश्तेहार प्रेषित	शुल्क भुगतान स्थिति	चेकलिस्ट प्रेषित	अनुयोजन	प्रिंट
1	T202142345041058 ओनलाइन	विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार	03/02/2021	02/02/2021 निस्तारण तिथि Pending	हाँ 03/02/2021	10.00 भुगतान तिथि 04/02/2021	हाँ 03/02/2021 चेकलिस्ट वापिस हाँ 03/02/2021	जांच आख्या नोटिस शुल्क निरस्त करें आदेश करें	<u>आवेदन</u> <u>पत्र</u>

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 1058/2021/अयोध्या

विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 04/02/2021

* आदेश तिथि: 04/02/2021

नोट :- कृपया आदेश टंकित करते समय वाद विवरण (न्यायालय का नाम, वाद संख्या, वाद वर्ष) न टंकित करें।। ,

(आदेश युनिकोड में ही टाइप करें , अगर आदेश krutidev में है तो उसको युनिकोड में कन्वर्ट करें , लिंक का उपयोग करके युनिकोड में कन्वर्ट कर सकते हैं।



यह आदेश परिक्षण मात्र है

2	03066	2020	T202004230403066	सरकार बनाम मुकेश तिवारी	30/01/2021	संशोधित करें अपलोड करें डिलीट करें ⊖िप्रंट
3	05726	2019	T201904230405726	अमरनाथ आदि बनाम सरकार	04/02/2021	संशोधित करें अपलोड करें डिलीट करें ⊖िप्रंट
4	1058	2021	T202142345041058	विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार	04/02/2021	संशोधित करें अपलोड करें डिलीट करें ⊖प्रिंट

आनलइन पंजीकरण : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु आवेदन |

नया आवेदन → नये प्रार्थना पत्र हेतु <u>कुल आवेदन</u> → आप द्वारा किये गए सम्पूर्ण आवेदन पत्रों को देखने के लिए

दर्ज़ आवेदन पत्रों का विवरण :

	न्यायलय	मण्डल	जनपद	तहसील	अधिनियम	धारा	प्रिंट
विदन पत्र की स्थिति :							
द संख्या :	T202142345041058	पार्टी वि	वरण :	विपिन	पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश	ा सरकार	
	03/02/2021	अगली र	मुनवाई तिथि :	04/02/	2021		
	हाँ	इश्तेहार	प्रेषित दिनांक :	03/02/	2021		
	zř			03/02/	2021		
	ξ ⁱ						
या :	IK0AYQNJL5			RAJ210	0000310		
	SBI	धनराशि	(Paid) :	10.00			
Paid Status) :	सफल(Success)	भुगतान	तिथि :	04/02/	2021		
		Adobe 311	देश देखें				
		वापस उ	नायें				
	द संख्या : :	द संख्या : T202142345041058 03/02/2021 हाँ : हाँ : हाँ IK0AYQNJL5 SBI	द संख्या : T202142345041058 पार्टी विक 03/02/2021 अगली र हाँ इश्तेहार नोटिस रि : हाँ चेकलिस सा : IKOAYQNJL5 चालान र SBI धनराशि Paid Status) : सफल(Success) भुगतान	द संख्या : T202142345041058 पार्टी विवरण : 03/02/2021 अगली सुनवाई तिथि : हाँ इश्तेहार प्रेषित दिनांक : नोटिस प्रिंट करें : हाँ चेकलिस्ट प्रेषित दिनांक : हाँ चेकलिस्ट पूर्ण दिनांक : वा : IKOAYQNJL5 चालान सँख्या :	द संख्या : T202142345041058 पार्टी विवरण : विपिन । 03/02/2021 अगली सुनवाई तिथि : 04/02/ हाँ इश्तेहार प्रेषित दिनांक : 03/02/ हाँ चेकलिस्ट प्रेषित दिनांक : 03/02/ हाँ चेकलिस्ट प्रेषित दिनांक : 03/02/ हाँ चेकलिस्ट प्रेषित दिनांक : 03/02/ हाँ चेकलिस्ट प्र्ण दिनांक : 03/02/ हाँ चेकलिस्ट प्र्ण दिनांक : RAJ210 (IKOAYQNJL5 चालान सँख्या : RAJ210 (SBI धनराशि (Paid) : 10.00 (Paid Status) : सफल(Success) अग्रतान तिथि : 04/02/	द संख्या : T202142345041058 पार्टी विवरण : विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश 03/02/2021 अगली सुनवाई तिथि : 04/02/2021 हाँ इश्तेहार प्रेषित दिनांक : 03/02/2021 नीटिस पिंट करें दें चेकलिस्ट प्रेषित दिनांक : 03/02/2021 हाँ चेकलिस्ट प्रेषित दिनांक : 03/02/2021 हाँ चेकलिस्ट पूर्ण दिनांक : 03/02/2021 या : IKOAYQNJL5 चालान सँख्या : RAJ210000310 SBI धनराशि (Paid) : 10.00 Paid Status) : सफल(Success) भुगतान तिथि : 04/02/2021	द संख्या : T202142345041058 पार्टी विवरण : विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 03/02/2021 अगली सुनवाई तिथि : 04/02/2021 हाँ इश्तेहार प्रेषित दिनांक : 03/02/2021 हाँ चेकलिस्ट प्रेषित दिनांक : 03/02/2021 हाँ चेकलिस्ट प्रेषित दिनांक : 03/02/2021 हाँ चेकलिस्ट प्रणि दिनांक : 04/02/2021



🗸 vaad.up.nic.in/judgement/Print_Court_Order_External.aspx?act_cd=75§ion_cd=766 &action=F &cno=1058 &cyear=2021 &login_cd=S' ••• 💟











न्यायालय:- उपजिलाधिकारी मण्डल :अयोध्या , जनपद :अयोध्या , तहसील :मिल्कीपुर कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202142345041058 वाद संख्या:- 1058/2021 विपिन पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80 " अंतिम आदेश " आदेश तिथि:- 04/02/2021

यह आदेश परिक्षण मात्र है

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"